

संख्या - 004/वी.जी.एल/3
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 19.02.2004

कार्यालय आदेश सं0 11/02/04

सेवा में

- (1) भारत सरकार के सभी सचिव
- (2) सभी सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के मुख्य कार्यकारी
- (3) सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
- (4) उप सचिव (एवीडी.।।।), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

विषय: उन मामलों में आयोग की सलाह जिनमें सतर्कता पहलू नहीं है ।

महोदय,

आयोग ने यह प्रेक्षित किया है कि विभाग/मंत्रालय आयोग की इस सलाह कि "आरोपित त्रुटियों में कोई सतर्कता पहलू नहीं है तथा विभाग मामले में उचित कार्रवाई करें" की व्याख्या तथा मूल्यांकन उचित प्रकार से नहीं कर रहे हैं ।

2. ऐसे मामले जिनमें त्रुटियों में सतर्कता पहलू नहीं है, इसका अपने आप में मतलब यह नहीं है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां नहीं होनी है । ऐसे मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी, आचरण तथा अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई करें तथा मामले को पुनः परामर्श के लिए आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

भवदीया

ह0/-
(अंजना दूबे)
उप सचिव